एन.ई.पी.-2020 के फ्रेमवर्क में महात्मा गाँधी का भाषा चिन्तन : प्रासंगिकता के कुछेक मुद्दे

धनंजय झा

शोध-छात्र (एजुकेशन),डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय, दरभंगा।

डॉ. सी.एन. झा

सहायक प्राध्यापक, डॉ. जाकिर हुसैन टीचर्स ट्रेनिंग कॉलेज,लहेरियासराय,दरभंगा।

सार

महात्मा गाँधी भारत व भारतीयता के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने स्पष्ट मंतव्य व्यक्त किया है कि बच्चा यदि मातृभाषा में अध्ययन करेगा ता उसका स्वाभाविक तौर पर मानसिक विकास होगा। अंग्रेजी भाषा को बच्चे पर लाद देना मानसिक दासता का परिचायक है। अंग्रेजी भारतीय विद्यार्थियों की स्नायुविक उर्जा पर जबरदस्त दबाव डालता है। 'हिन्द स्वराज' में गाँधी जी स्पष्ट कहते हैं कि 'हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी हीं होनी चाहिए।' उनके विचारदृष्टि मे 'अंग्रेजी की शिक्षा गुलामी मे ढलने जैसा है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में पाँचवीं कक्षा तक के बच्चों को मातृभाषा में शिक्षा देने और त्रिभाषा सूत्र का लागू करने का प्रावधान किया गया है। अब तक किये गये शोध व अध्ययनों से यह स्पष्ट हो चुका है कि बच्चा यदि मातृभाषा में शिक्षा ग्रहण करता है तो उसे सर्वाधिक लाभ होता है और उसकी मौलिक-चिन्तन की क्षमता में काफी वृद्धि होती है। वहीं दूसरी ओर किसी विदेशी भाषा में शिक्षा देने पर बच्चा ट्टू बन जाता है, साथ हीं मौलिक रूप से चिन्तन करने की उसकी क्षमता का भी ह्रास/क्षरण हो जाता है।

कुंजी शब्द : नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020,मानसिक दासता,मानसिक विकास, स्नायुविक ऊर्जा व मौलिक चिन्तन।

प्रस्तावना :

महात्मा गाँधी गोलमेज सम्मेलन के लिए 193 में लंदन गये थे। वहीं उन्होंने चैथम हाउस में बीस अक्टूबर को व्याख्यान दिया था और उसमें भावी स्वतंत्र भारत की परिकल्पना प्रस्तुत की थी। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने ललकार कर कहा था। "आज, भारत पचास वर्ष पहले या सौ वर्ष पहले जितना साक्षर था उतने हम नहीं रहे, इसका कारण यह है कि ब्रिटिश शासकों ने भारत मे आने पर बजाय इसके कि वे जैसी शिक्षा व्यवस्था चल रही थी वैसी चलने देते, उन्होंने इस व्यवस्था को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहा। जड़ें बड़ी मजबूत थी। नहीं उखड़ी। उन्होंने आस-पास की मिट्टी को खोदकर बाहर निकाल दी, जड़ों को ध्यान से देखा, उसका विश्लेषण भी किया और उसी तरह जड़ों को उघड़ी रहने दिया और इस तरह खूबसूरत पेड़ सूख गये। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी बड़े ही सुन्दर और मार्मिक शब्दों मे कहते हैं कि "शिक्षा बालक के शरीर, मन तथा आत्मा की उत्तम क्षमताओं को उद्घाटित करती है और बाहर प्रकाश में लाती है।" उनके विचार में "शिक्षा का मूल उद्देश्य मनुष्य को सच्चे अर्थों में मनुष्य बनाना है। जो शिक्षा मानवीय सद्गुणों के विकास में योगदान नहीं देती और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त नहीं करती वह शिक्षा अनुपयोगी है।" उनका विचार है कि "बालक की शारीरिक,मानसिक और आध्यात्मिक क्षमताओं के पूर्ण विकास का दायित्व शिक्षा पर है।" जब तक शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा का विकास एक साथ नहीं हो जाता तब तक केवल बौद्धिक विकास एकांगी हीं बना रहेगा। कहना न होगा कि गाँधी जी सरीखे महापुरुष शिक्षा को भारत, ज्ञान और मनुष्यता के व्यापक परिप्रेक्ष्य में देख रहे थे। गाँधी जी स्पष्ट तौर पर अंग्रेजी माध्यम में शिक्षा प्रदान द्वारा काफी नुकसान होने की बात कहते थे। गाँधी जी ने कहा "शिक्षा को हर कीमत पर उनका उचित स्थान दिया जाना चाहिए। वर्तमान समय में भारतीय शिक्षा व्यवस्था के सम्मुख अनेक चुनौतियाँ, हैं लेकिन शिक्षा के माध्यम की समस्या दिन-प्रतिदिन विकराल होती जा रही है और सुरसा की तरह मुँह फाड़े खड़ी है। दुनियाँ भर के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि किसी भी देश मे व्यापक बदलाव लाने के लिए शिक्षा सशक्त उपकरण

है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद उस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है तथा अपने को, उस संस्कृति को, सभ्यता के साथ आत्मसात करती है।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के माध्यम से भारतीय शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलाव लाने की आशा की जा रही है। इस शिक्षा नीति में भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है, जो गाँधीजी के सपनों को साकार कर सकती है। भारत को ज्ञान का पावर हाउस बनाने में यह नई शिक्षा नीति काफी मददगार साबित होगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत के छात्र व युवाओं को मानसिक गुलामी से मुक्त किये बिना भारत का पुनर्जागरण संभव नहीं है। यह नीति मानसिक दासता से मुक्त कर भारत के सांस्कृतिक पुनर्जागरण का मार्ग प्रशस्त करेगी। साथ हीं साथ यह शिक्षा नीति भारतीय छात्र /छात्राओं को मानसिक दासता से मुक्त होकर मौलिक चिंतन को प्रोत्साहित करने के लिए इको-सिस्टम तैयार करेगी।

महात्मा गाँधी : व्यक्तित्व एवं कृतित्वः

बीसवीं शताब्दी के आरंभिक वषो में दक्षिण अफ्रीका की धरती पर कर्मशील रहते हुए मोहनदास करमचंद गाँधी का बाहरी दुनिया में आविर्भाव होता है। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए गाँधी जी के भारत से सम्पर्क तो थे हीं, वे विश्व संसार की गतिविधियों के भी सम्पर्क में थे। गाँधीजी जब सन् 1915 में स्थायी रूप से भारत लौटे तो उनके व्यक्तित्व एवं कृतित्व के विविध रूप उभरकर सामने आ चुके थे। वे अब प्रवासी भारतीयों के हीं नहीं बल्कि भारत की जनता की गुलामी एवं पश्चिम की राक्षसी सभ्यता से देश को मुक्त कराने वाले अहिंसक महानायकों के स्थान तक पहुँचने में कामयाब हो चुके थे, और सन् 1909 में लिखी अपने पुस्तक 'हिन्द स्वराज' से तो वे नवजागरण के मूलमंत्र स्वराज, स्व-संस्कृति तथा स्वभाषा के राष्ट्रीय-चिन्तक के रूप में मुखरित हुए। गाँधी जी बैरिस्टर/वकील तो थे हीं, साथ हीं वे एक पत्रकार, सत्याग्रही, लोकनायक भारतीय संस्कृति के उपासक, लेखक, नेता तथा भाषा-चिन्तक भी थे। गाँधी जी के कृतित्व की प्रमुख विशेषता यह थी कि उन्होंने जिस क्षेत्र मे भी कार्य किया तथा जिस विचार को भी आगे बढ़ाने का काम किया, 'उसे पूरी गहराई से समझा, अपनाया और फिर उसे देशहित में प्रचारित-प्रसारित करने का भी काम किया। उनके समक्ष भाषा का प्रश्न भी कुछ ऐसा ही चुनौतीपूर्ण प्रश्न था जो भारत जैसे बहुभाषी देश में अंग्रेजी भाषा के प्रमुख, संकुचित प्रांतीयता, स्वार्थी शिक्षित वर्ग तथा व्यापक अशिक्षा के कारण इतना उलझ गया कि गाँधी को 'हिन्द स्वराज' के रचना-काल से लेकर स्वतंत्रता प्राप्त तक के लगभग चालीस वर्षों तक निरन्तर इस समस्या से जुझते रहना पड़ा। गाँधी ने इस चालीस वर्षों मैं सैकड़ों बार अपने भाषणों, पत्रों तथा लेखों में देश की भाषा-समस्या के हल के लिए एक राष्ट्रीय भाषा-नीति की रचना की और उसे इतनी बार राष्ट्र के सम्मुख रखा जैसे वे देश के स्वराज, धर्म, अहिंसा, सत्याग्रह व खादी आदि के राष्ट्रीय मुद्दों को रखते रहे। इसका प्रमुख कारण यह था कि गाँधी जी ने स्वराज के साथ भाषा के प्रश्न को जोड़ने का काम किया और बार-बार कहा कि यदि 'स्वराज' देश के करोड़ों भूखे, अनपढ़ तथा दलितों के लिए होना है, तो उनकी जनमानस की भाषा हिन्दी को राष्ट्रीय भाषा बनाना होगा।[1] इस प्रकार स्वराज के साथ भाषा को जोड़ने वाले सम्भवतः वे पहले व्यक्ति थे, क्योंकि उन्होंने देखा कि देश का अंग्रेजी शिक्षित वर्ग विदेशी भाषा और संस्कृति का गुलाम बन गया है और वे जनता के दुश्मन तथा मातृद्रोही बन गये हैं।[2]

गाँधी और शिक्षा के माध्यम की भाषा का सवाल :

गाँधी जी ने भारत के लिए शिक्षा का एक सशक्त माध्यम रूपी भाषा की आवश्यकता की ओर अपना ध्यान केन्द्रित किया। उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि किसी यूरोपीय भाषा को भारत का आधार स्तंम्भ बनाये जाने से अधिक उपयुक्त होगा कि हम अपने लिए एक राष्ट्रभाषा का चयन करें। इस दिष्ठा में उन्होंने हमलोगों के समक्ष रूस का उदाहरण भी प्रस्तुत किया और कहा रूस में बिना अंग्रेजी के विज्ञान ने इतनी उन्नति की है जो कविले तारीफ है। आज अपनी मानसिक गुलामी की वजह से ही हम यह मानने लगे हैं कि अंग्रेजी के बिना हमारी काम नहीं चल सकता। और मैं इस चीज को नहीं मानता।[3] मानव जाति का विकास और शिक्षा एक-दूसरे के साथ माला की तरह गूँथे हुए हैं। हम जब शिक्षा के माध्यम से भारत की जनता में एक जनजागृति फैला देना चाहते हैं, उन्हें सभ्य, सुसंस्कृत नागरिक बना कर देश के विकास में आगे खड़ा कर देना चाहते हैं तो उसके लिए प्रधान मुद्दा 'शिक्षा के माध्यम' का है। कुल मिलाकर यह स्पष्ट होता है कि भारत की शिक्षा व्यवस्था में भाषाओं का संयोजन एक जटिल प्रश्न है। महात्मा गाँधी ने इस प्रश्न का हल बड़ी ही सरलता एवं सहजता से किया और देशहित तथा जनहित को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रभाषा, मातृभाषा, प्रान्तीय भाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा, अन्तर्राष्ट्रीय भाषा व संस्कृत भाषा के संयोजन की एक व्यवस्थित रूपरेखा हम भारतीयों के समक्ष प्रस्तुत की। महात्मा गाँधी ने इस दिशा

में देश की एकता और अखण्डता को सर्वोपरि स्थान पर रखते हुए देश के लिए एक राष्ट्रभाषा की आवश्यकता पर बल दिया था। उन्होंने देश की राष्ट्रभाषा के प्रमुख लक्षणों की ओर संकेत करते हुए कहा था "हम देखते हैं कि एक राष्ट्रभाषा में क्या लक्षण होने चाहिए" -

1. वह भाषा सरकारी नौकरी के लिए सहज, सरल व आसान होनी चाहिए।
2. उस भाषा के द्वारा भारत की अपनी आर्थिक, राजनीतिक और धार्मिक कामकाज होना चाहिए।
3. उस भाषा को भारत के ज्यादातर लोग बोलते हों।
4. वह भाषा राष्ट्र के लिए आसान हो।
5. वह भाषा जिसको जनसमूह सहज में समझ ले।
6. उस भाषा का विचार करते समय क्षणिक या कुछ समय तक रहने वाली स्थिति पर जोर न दिया जाए। गाँधी जी का मानना था कि अंग्रेजी भाषा में उपरोक्त में से एक भी लक्षण विद्यमान नहीं है।[4]

गाँधी जी स्वीकार किया था कि ये उपरोक्त छह लक्षणों को अपने अन्दर विद्यमान रखने में हिन्दी की होड़ करने वाली और कोई भाषा नहीं है। इस प्रकार हिन्दी हीं राष्ट्र भाषा होने का सबसे प्रबल दावेदार है।[5] हम भारतीयों के लिए काफी हर्ष का विषय है कि स्वतंत्र भारत में गाँधी जी के इस स्वप्न को साकार रूप मिला और आज हिंदी राष्ट्र भाषा के रूप में सुशोभित होकर पूरे देश को एक सूत्र मे बाँधने/पिरोने का कार्य कर रही है। महात्मा गाँधी ने देश के कोने-कोने में हिंदी भाषा के प्रसार को महत्वपूर्ण माना और इसे देश के प्रत्येक राज्य में एक अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाये जाने की वकालत की। उनका कहना था "सबको हिन्दुस्तानी सीखनी ही होगी क्योंकि संस्कृत, उर्दू और हिन्दी के मेल से बनी यही सच्ची राष्ट्रीय भाषा है।"[6] वर्ष 1909 में समुद्र में पानी की जहाज पर गाँधी जी ने 'हिन्द स्वराज' नामक एक छोटी सी संवादों में गुंथी एक लघु पुस्तक गुजराती में लिखी थी जिसमें भारत के भविष्य का खाका खींचा और तत्कालीन पश्चिम सभ्यता की एक उत्तेजक समीक्षा भी की। **'हिन्द स्वराज'** में गाँधी जी स्पष्ट रूप से कहते हैं कि 'हिन्दुस्तान की राष्ट्रभाषा हिन्दी हीं होनी चाहिए'। इसके पक्ष में वह तर्क भी देते हैं कि राष्ट्र भाषा वह भाषा हो जो सीखने में आसान हो, सबके लिए कामकाज कर पाना संभव हो, सारे देश के लिए जिसे सीखना सरल हो एवं अधिकांश लोगों की भाषा हो। इन बातों पर विचार कर वही हिन्दी को सही पाते हैं और अंग्रेजी को इसके लिए उपयुक्त नहीं पातो। उनके विचार में अंग्रेजी हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती। वह अंग्रेजी मोह को स्वराज के लिए घातक बताते हैं। उनके विचार में 'अंग्रेजी की शिक्षा गुलामी में ढ़लने जैसा है'। उनका मानना है कि सभी हिन्दुस्तानियों को हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। उनकी हिन्दी व्यापक है और उसे नागरी या फारसी में लिखा जाता है। पर देवनागरी लिपि को वह सही करार देते हैं।[7]

गाँधी जी स्पष्ट रूप से मानते हैं कि हिन्दी का फैलाव/फलक ज्यादा है। वह मीठी, नम्र और ओजस्वी भाषा है। वे अपना अनुभव साझा करते हुए कहते है कि "मद्रास हो या मुम्बई भारत में मुझे हर जगह हिन्दुस्तानी बोलने वाले मिल गये। हर तबके के लोग यहाँ तक कि साधु, सन्यासी, किसान, मजदूर सभी हिन्दी का प्रयोग करते हैं। अत: हिन्दी हीं शिक्षित समुदाय की सामान्य भाषा हो सकती है। इसे आसानी से सीखा जा सकता है। यंग इंडिया में वे लिखते हैं कि यह बात शयद हीं कोई मानता हो कि दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले सभी तमिल- तेलुगु भाषी लोग हिन्दी में खूब अच्छी तरह बातचीत कर सकते हैं। वे अंग्रेजी के प्रश्रय को 'गुलामी और घोर पतन का चिह्न' कहकर सम्बोधित करते हैं।[8]

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् भी हिन्दी के साथ हीलाहवाली करते हुए हम लगातार अंग्रेजी को ही तरजीह देते रहे। हम ऐसा शिक्षित वर्ग तैयार करते रहे जिसका शेष देशवासियों से सम्पर्क ही घटता गया और जिसकी संस्कृति का स्वाद देश से परे वैश्विक होने लगा। हम मैकाले के तिरस्कार की नीति से भी कुछ कदम आगे हीं बढ़ गये। देशी भाषा और संस्कृति का अनादर आज भी जारी है। गाँधी जी के शब्दों में 'भाषा माता के समान है, माता पर जो हमारा प्रेम होना चाहिए वह हममें नहीं है। मातृभाषा से मातृवत् स्नेह से साहित्य, कला, संस्कृति, शिक्षा और नागरिक जीवन सभी कुछ गहनता और गहराई से जुड़ा होता है।[9]

गाँधी जी का स्पष्ट तौर पर मानना था कि अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा देना करोड़ों लोगों की गुलामी में डाल देने जैसा है।[10] प्राथमिक शिक्षा का माध्यम मातृभाषा किये जाने के विषय में वह कोई समझौता करने के पक्ष में नहीं थे।[11] बालक की प्रारंभिक शिक्षा का माध्यम उनकी मातृभाषा में न होना वे बाल मनोविज्ञान की दृष्टि से अनुचित मानते थे। उनके समक्ष जब उनके खुद के बच्चों की शिक्षा व्यवस्था का प्रश्न उठा तो उन्होंने ऐसी स्थिति में भी प्रारंभिक स्तर पर मातृभाषा द्वारा दी जाने वाली शिक्षा को हीं प्रमाणिकता दी थी।[12] महात्मा गाँधी ने भारत की जीवन धारा में संस्कृत की महत्ता की ओर भी अपना ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने

कहा था मेरी राय में धार्मिक बातों से संस्कृत का उपयोग करना छोड़ा नहीं जा सकता। शिक्षा पद्धति की कमियों के कारण हीं संस्कृत सीखना कठिन मालूम होता है। असल में यह कठिन है नहीं। अपनी आत्मकथा में वे लिखते है "आज मेरी आत्मा कृष्णशंकर पंड्या का उपकार मानती है, क्योंकि जितनी संस्कृत मैंने इस समय सीखा, उतनी भी न सीखा होता तो आज संस्कृत शास्त्रों में जितना रस ले सकता हूँ, उतना नहीं ले पाता। मुझे तो इस बात का पश्चाताप होता है कि मैं संस्कृत अधिक न सीख सका, क्योंकि बाद में समझा कि किसी भी हिन्दू बालक को संस्कृत का अच्छा अभ्यास किये बिना रहना हीं नहीं चाहिए। स्वानुभव से जानी गई हस सच्चाई को वे भारत की शिक्षा व्यवस्था में भी स्थान देना चाहते थे। यही कारण है कि उन्होंने विद्यालयों में संस्कृत शिक्षा की महत्ता बनाये रखने पर जोर दिया।[13]

देश की सशक्त पहचान के रूप में राष्ट्र भाषा हिन्दी, व्यक्ति की खुद की पहचान के रूप में मातृभाषा की व्यवस्थाएँ सुनिश्चित कर गाँधी जी ने दूसरी जरूरतों पर भी नजर डाली और बताया कि अन्तर्राष्ट्रीय सन्दर्भों में हम अंग्रेजी भाषा की अनदेखी नहीं कर सकते। उनका कहना था कि हरिजन मेरे अंग्रेजी प्रेम का पर्याप्त परिणाम है, लेकिन उसके साहित्य का समशीतोष्ण जलवायु या वहाँ के सुन्दर अदृश्य हो सकते हैं। भारत को तो अपनी हीं जलवायु, अदृश्यों और साहित्य में तरक्की करनी होगी। अब तो मैं यह मानता हूँ कि भारतवर्ष की उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रम में मातृभाषा के अतिरिक्त राष्ट्र भाषा हिन्दी, संस्कृत, अरबी, फारसी और अंग्रेजी का भी स्थान होना चाहिए। भाषाओं की इस संख्या से किसी को डरना नहीं चाहिए। उनका कहना था कि भाषा पद्धतिपूर्वक सिखाई जाए और जो व्यक्ति एक भाषा को शास्त्रीय पद्धति से सीख लेता है उसके लिए दूसरी भाज़ा का ज्ञान सुलभ हो जाता है।[14] अंग्रेजी के समर्थन में उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी आज सारी दुनिया की भाषा बन गई है। इसलिए में उसे दूसरी जबान के तौर पर जगह दूँगा, लेकिन विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रम में स्कूलों में नहीं।[15] वर्ष 1909 में समुद्र में पानी की जहाज पर गाँधी जी ने 'हिन्द स्वराज' नामक एक छोटी सी संवादों में गुंथी एक लघु पस्तक गुजराती में लिखी थी जिसमें उन्होंने भारत के भविष्य का खाका खींचा और तत्कालीन पश्चिमी सभ्यता की एक उत्तेजक समीक्षा करते हुए अपने विचार प्रकट किये "हर एक पढ़े-लिखे हिन्दुस्तानी को अपनी भाषा का, हिन्दू को संस्कृति का, मुसलमान को अरबी का, पारसी को पार्शियन का और सबको हिन्दी का ज्ञान होना चाहिए। कुछ हिन्दुओं को अरबी और कुछ मुसलमानों और पारसियों को संस्कृत सीखनी चाहिए। ऐसा होने पर हम अपने आपस के व्यवहार से अंग्रेजों को निकाल बाहर कर सकेंगे।[16] भाषा के सम्बन्ध में ये गाँधीजी के मूल विचार हैं, जिसके आत्मसात् करने का प्रयास एनईपी-2020 में किया गया है।

एनईपी-2020: आवधारणात्मक अनुशीलन: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी-2020)' भारत के इक्कीसवीं सदी के आकांक्षापूर्ण लक्ष्यों के अनुरूप है। इस शिक्षा नीति में भारत को ज्ञान के क्षेत्र में वैश्विक महाशक्ति प्रतिमान में तब्दील करने का लक्ष्य रखा गया हैं लेकिन इसकी मुख्य विशेषता अपने दृष्टिकोण में वैश्विक होने के साथ हीं भारत केन्द्रित भी है। यह मानवाधिकारों संवहनीय विकास और जीवन शैली तथा वैश्विक कल्याण के लिए प्रतिबद्धता को बढ़ावा देने वाला ज्ञान, कौशल, मूल्य और आचरण को स्थापित करती है। इस प्रकार इसका प्रयास छात्रों को सही मायनों में वैश्विक नागरिक के रूप में तब्दील करने का है। साथ ही इसका मकसद छात्रों में विचारों के साथ हीं भावना, बुद्धि और कार्यों में भी भारतीय होने का गहरा गौरव स्थापित करना है। इस शिक्षा नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को पूरा करने के लिए 2040 की समय-सीमा निर्धारित की गई है।[17]

एनईपी-2020 के मसौदे में शिक्षा में उदार नजरिये को अपनाने की बात की गई है। इसमें स्कूली और उच्चतर शिक्षा में मौजूद पाठ्यक्रम और अधययन के तौर-तरकों के पुनर्गठन पर जोर दिया गया है ताकि इस नीति के लक्ष्यों और प्रयोजनों को निर्धारित समयावधि में पूर्ण किया जा सके। इस नीति में 1986 की शिक्षा नीति के (10+2) के मौजुदा ढाँचे के बजाए (5+3+3+4) का नया ढाँचा प्रस्तुत किया गया है।[18]

एनईपी-2020 : भारतीय भाषाओं की प्रासंगिकता के मुद्दे जैसा कि एनईपी-2020 में उल्लेख किया गया है "शिक्षा का उद्देश्य न केवल संज्ञानात्मक विकास होगा, बल्कि चरित निर्माण और 21वीं सदी के प्रमुख कौशलों से सुसज्जित समग्र और बहुमुखी प्रतिभा वाले व्यक्तियों का निर्माण करना होगा।" और इस उद्देश्य की पूर्ति में भारतीय भाषाओं की भूमिका शिक्षा के माध्यम के रूप में काफी बढ़ जाती है। इस नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय भाषाओं, कला और संस्कृति के इस्तेमाल की वकालत करती है। इस नीति में देश की भाषाओं के संवर्द्धन के मकसद से भारतीय अनुवाद और विवेचना संस्थान 'इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसलेशन

एंड एंटरप्रेटेशन (आई.आई.टी.आई.) की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है। इसमें बखूबी कहा गया है कि 'संस्कृति' को स्कूली और उच्चतर शिक्षा संस्थानों की मुख्यधारा में शामिल किया जायेगा जो हम भारतीयों के लिए गौरव की बात है। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि भारतीय भाषाओं को रोजगार के अवसरों के लिए योग्यता के मानदण्डों में शामिल किया जायेगा।[19]

इस शिक्षा नीति का एक महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि भाषा सम्बन्धी शिक्षा या पढ़ने-पढ़ाने के प्रश्न पर हिन्दी समेत भारतीय भाषाओं के प्रति एक स्पष्ट निवर्तमान सरकार के पास है। अब हम पहले कुछ बातें करें एनईपी में भरतीय भाषाओं की स्थिति के बारे में। इस नीति में पाँचवीं कक्षा तक की शिक्षा यथासंभव मातृभाषा, स्थानीय भाषा या राष्ट्रीय भाषा में अनिवार्य रूप से करने की वकालत की गई है। साथ ही यदि संभव हो और कोशिश की जानी चाहिए कि आठवीं तक की पढ़ाई भी भारतीय भाषाओं और मातृभाषाओं में हो। अंग्रेजी एक विषय के रूप में ही पढ़ाई जाए, माध्यम भाषा के रूप हरिगज नहीं। इस नीति के तहत उच्चतर कक्षाओं में अंग्रेजी को जरूर छूट दी गई है और वह इसलिए कि आने वाले दिनों में धीरे-धीरे भारतीय भाषाओं में पाठ्य-पुस्तकें और सामग्री उपलब्ध हो जाएँगी तो वहाँ भी भारतीय भाषाएँ अंग्रेजी की जगह ले लेंगी। परन्तु विडम्बना यह है कि भारत जैसे देश में जितना आसान इसे नीति में शामिल करना है, कार्यान्वयन उतना हीं मुश्किल और उसमें भी सबसे बड़ी बाधक अंग्रेजी के नाम पर तथाकथित व्यापार करने वाले लोग हैं जो पहले से हीं कुतर्कों के तीर लिए तैयार बैठे हैं। ठीक इसी वक्त हिन्दी भाषी क्षेत्रों में भोजपुरी, मगधी, कुमाउनी राजस्थानी आदि प्रांतीय भाषाओं की आवाज उठाई जा रही है। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में सभी भाषा और बोलियों का सम्मान है ओर यदि गौर से देखा जाए तो इसीलिए इस नीति में मातृभाषाएँ और स्थानीय भाषाएँ दोनों को जगह दी गई है। अत: इस नीति की आत्मा को समझ कर आगे बढ़ा जाए तो राष्ट्रहित सधेगा। शिक्षक पढ़ाते वक्त वहाँ की स्थानीय भाषा, शब्दों, परंपराओं व लोक कला आदि को साथ रखते हुए छात्रों के बीच संवाद करेंगे तो छात्र रटने की प्रवृत्ति से तो दूर होंगे हीं साथ हीं उन्हें पढ़ने में आनन्द भी आएगा और यही नई शिक्षा नीति का मूल मंत्र भी है।[20] यहाँ यह उल्लेखनीय है कि अंग्रेजी के वर्चस्व ने बच्चों को सही शिक्षा से और दूर कर रखा है। नौकरी कैसे मिलेगी? एक राज्य से दूसरे राज्य में जाएँगे तो बात कैसे करेंगे? न जाने कितने कुतर्क लेकर विरोधी आगे आ जाते हैं। वे इस बात को भूल जाते हैं कि पूरे यूरोप में अंग्रेजी की वजह से नोकरी मिलती तो वे अपनी मातृभाषा में क्यों पढ़ते-लिखते चीन और जापान क्यों अपनी भाषाओं में पढ़ाते, यह भी समझने की जरूरत है। और यही शिक्षा नीति का उद्देश्य भी है कि अपनी भाषाओं में पढ़ेंगे तो आगे चलकर कोई भी विदेशी भाषा जरूरी नहीं कि वह अंग्रेजी हीं हो, उसे भी जल्दी आत्मसात् करेंगे और जल्दी रचनात्मकता दे पायेंगे। यह महात्मा गाँधी के भाषा चिन्तन की परिकल्पना को उजागर करता है। दुनियाँ भर के अनुभव इस बात के गवाह हैं कि किसी भी देश में परिवर्तन लाने के लिए शिक्षा सबसे सशक्त औजार है और हर शिक्षा का वाहन भाषा होती है। वह भाषा जो सदियों के बाद इस समाज से निकलती है, गढ़ी जाती है, अपने को, उस संस्कृति को सभ्यता के साथ आत्मसात् करती है। एक-एक शब्द को गढ़ने में शताब्दियाँ लगती है जो माँ की सांसों से अगली पीढ़ी तक पहुँचती है। दादी की कहानियों में होती है, कहावत में होती है। इसीलिए दुनियाँ भर में प्राथमिक शिक्षा विशेष रूप से अपनी भाषाओं में देने की वकालत की गई है और संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर भी इसी बात को यूनेस्को आदि के माध्यम से दुनिया भर को बताया जाता है। इसीलिए वर्ष 1996 से 21 फरवरी को दुनिया भर में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक 1996 से 21 फरवरी को दुनिया भर में मातृभाषा दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 14 सितम्बर को हिन्दी दिवस बड़े धुम-धाम से मनाया जाता है। भाषा का ऐतिहासिक सम्बन्ध भी हमारे पड़ोसी मित्र देश बांग्लादेश का अपनी मातृभाषा को बचाने के संघर्ष के साथ जुड़ा हुआ है जो विभाजन के तुरन्त बाद पश्चिम बंगाल में बांग्ला को मातृभाषा बनाने की लड़ाई से प्रारंभ हुआ और अन्त में पूर्वी पाकिस्तान की जगह एक नया देश बांग्लादेश बना। भाषा के प्रश्न पर हीं आजादी के बाद कई राज्य बने और उन सबके पीछे एक वैज्ञानिक सोंच रही थी स्थान, प्रदेश विशेष के लोग उस भाषा में अपनी शिक्षा न्याय और पूरी व्यवस्था को दे सकें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 में इन तथ्यों को दृष्टिगत करते हुए भारतीय भाषाओं को प्रमुख स्थान दिया गया है। ग्लोबलाइजेशन के दौर में सिर्फ अंग्रेजी से हीं देश का उत्थान हो सकता है, यह मिथक दुनियाँ भर के शिक्षाशास्त्री और स्वंय आजादी के दौर में महात्मा गाँधी और देश के दिग्गज राजनेताओं के सपनों के एकदम खिलाफ था। इस नई शिक्षा नीति में मेडिकल की पढ़ाई के लिए जो नीट परीक्षा पहले केवल अंग्रेजी में होती थी, पिछले कुछ वर्षों पहले आठ भारतीय भाषाओं में शुरू करने के बाद इस वर्ष उसमें तेरह भारतीय भाषाएँ यथा हिन्दी,

गुजराती, मराठी, बांग्ला, उद्रू, कन्नड़ आदि शामिल हो गई हैं। साथ हीं सरकार का प्रयास है कि सभी भाषाओं को समान रूप से लागू किया जाए। इस क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए पाठ्य-पुस्तकें, किताबों की तैयारी का काम पूरे जोर-शोर से चल रहा है। इंजीनियरिंग की पढ़ाई में भी आने वाले सत्र में आठ भारतीय भाषाओं हिन्दी, बांग्ला, तमिल, तेलुगु, मराठी, मलयालम, गुजराती और कन्नड़ में पढ़ने की सुविधा मिलेगी। भारतीय न्याय व्यवस्था में भारतीय भाषाओं को लाने की बड़ी चुनौती है।

निष्कर्ष :

भाषा संघर्ष के विषाणु हमें अंग्रेजी शासन से विरासत में मिले हैं। भारतीय भाषाओं को महत्वपूर्ण क्षेत्रों से बाहर रखने, भाषा के नाम पर भेदभाव और संघर्ष को बढ़ाने तथा भाषा को सुसंस्कृत और बोलियों को गँवारू घोषित करने के विष वृक्ष को फलने-फुलने, पुष्पित-पल्लवित होने का अवसर प्रदान किया। भारत की 2020 में प्रस्तुत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में त्रिभाषा सूत्र को लागू करने का प्रावधान किया गया है जो भारत की बहुभाषिकता की दृष्टि से काफी उपयोगी है। इसे गम्भीरता से लागू करने की आवश्यकता है। इससे हिन्दीसमेत सभी भारतीय भाषाओं के विकास के लिए सुअवसर मिलेगा। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा के विकास के लिए सुअवसर मिलेगा। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा के लिए मातृभाषा की संस्तुती भाषावैज्ञानिक दृष्टि से बहुत हीं महत्वपूर्ण है। बच्चों को घर की भाषा और विद्यालय की भाषा में निरंतरता। कोठारी आयोग की सिफारिशों में शामिल एक संस्तुति की "उच्च शिक्षा भी भारतीय भाषाओं में दी जानी चाहिए" के संदर्भ में भी यह शिक्षा नीति दो कदम आगे बढ़कर पहल करती हुई नजर आ रही है। जी.सी. बोस, एस.एन. बोस और हाल हीं में नोबेल पुरस्कार विजेता अभिजीत बनर्जी तक बार-बार इस बात को दोहराते रहे हैं कि यदि देश को बदलना है तो मातृभाषा में शिक्षज्ञ हीं एकमात्र रास्ता है। इन महापुरुषों के विचारों को भी इसी नीति की संस्तुतियों में इस कदर आत्मसात किया गया है कि अगर इनके सबसे महत्वपूर्ण पक्ष 'शिक्षा की भाषा' कहा जाए तो कोई अतिश्योक्ति नहीं होगी।अत: नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 का मसौदा यह उम्मीद जताता है कि यह देश में व्यापक बदलाव लाने का एक नया रोडमैप अख्तियार करने में कामयाब होगी और साथ ही गाँधी जी के भाषायी सपनों को साकार करने तथा निवर्तमान प्रधानमंत्री मोदी जी के एक भारत, श्रेष्ठ भारत के सूत्र को स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1. 'गाँधी वाङ्मय',खण्ड-47, पृष्ट. 5.
2. उपरोक्त, खण्ड-14, पृष्ट. 23.
3. मोहन दास करमचन्द गाँधी (2006), 'मेरे सपनों का भारत', संग्राहक आर.के. प्रभु, नवजीवन प्रकाशन, अहमदाबाद, पृष्ट. 221.
4. उपरोक्त, पृष्ट. 296.
5. उपरोक्त, पृष्ट. 218.
6. रोम्याँ रोलाँ (2009), महात्मा गाँधी : जीवन और दर्शन, प्रफुल्ल चन्द्र ओझा द्वारा अनुदित, लोक भारती प्रकाशन, इलाहाबाद, पृष्ट. 38.
7. गिरीश्वर मिश्र (2022),'मंगल प्रभात की प्रतीक्षा में', सर्वभाज़ा ट्रस्ट, इर्न दिल्ली, पृष्ट. 112.
8. उपरोक्त, पृष्ट. 112-113.
9. उपरोक्त, पृष्ट. 113.
10. बी.एम.शर्मा, रामकृष्ण दत्त शर्मा तथा सविता शर्मा (2005), भारतीय राजनीतिक विचारक, रावत पब्लिकेशन, जयपुर, पृष्ट. 302.
11. सी.एस. शुक्ला, आर.एन. सफाया तथा बी.डी. शैदा (2005), उदीयमान भारतीय समाज में शिक्षक, ध नपत राय पब्लिशिंग, नई दिल्ली, पृ. 186-187.
12. बी.आर. तनेजा तथा एस. तनेजा (2004), एजुकेशनल विंकर्स, अटलांटिक पब्लिकेशन, दिल्ली, पृष्ट. 108-109.
13. रश्मि श्रीवास्तव (2019), महात्मा गाँधी का शिक्षा चिन्तन, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत, नई दिल्ली, पृष्ट. 135-136.
14. मोहनदास करमचन्द्र गाँधी (2008), सत्य के प्रयोग, पूर्व संदर्भित, पृष्ट. 19.
15. गाँधी जी (2008), मेरे सपनों का भारत, पूर्व सन्दर्भित, पृष्ट. 222.
16. हिन्द स्वराज, पृष्ट. 124.
17. एनईपी. 2020, पृष्ट. 6.
18. एनईपी-2020, पैरा 4, पृष्ट. 11.
19. अविनाश कुमार सिंह, राज्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 (आलेख), योजना, फरवरी-2022, पृष्ट. 9-10.
20. प्रेमपाल शर्मा, 'नई शिक्षा नीति और भारतीय भाषाएँ', योजना, फरवरी 2022, पृ. 53-54.